E-mail 7/4/22

ब अदालत, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा (गोड्डा) (3)

मुटेशन अपील वाद सं0–06/2021–22

कैलाश कुमार टिबडेवाल **बनाम्** रामनारायण सिंह

–:आदेश:–

11-03-2022

प्रस्तुत वाद अपीलकर्त्ता द्वारा मुटेशन वाद सं0–1/13–14 में अंचल अधिकारी, महागामा के आदेश दिनांक–25.04.2013 के विरूद्ध दायर किया गया जो अंचल–महागामा के मौजा चाँदचक, ज0सं0–05 रकवा 02 एकड़ 10 डिसमिल भूमि से संबंधित है।

वाद दायर के उपरांत अभिलेख के अंगीकरण बिन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत दिनांक–15.12.2021 को अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत उपरांत मुटेशन वाद सं0–1/13–14 का सम्पूर्ण अभिलेख अंचल अधिकारी, महागामा से माँग के बाद अभिलेख प्राप्त हुआ। विपक्ष द्वारा कागजात की सूची के साथ कारण–पृच्छा दाखिल की गई। अपीलकर्त्ता के द्वारा भी सूची के साथ कागजात दाखिल की गई है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुना तथा उनके द्वारा अपने–अपने दावों के समर्थन में दलीलें दी गई।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया गया कि मौजा–चाँदचक के जं0 सं0–05 कुल रकवा 02 एकड़ 10 डिसमिल जमीन रामवतार राम, द्वारिका राम, पे0– ईश्वर दास के नाम से गत सर्वे में दर्ज है। अपीलकर्त्ता जमावंदी रैयत के वंशज में आते है तथा आपसी पारिवारिक बँटवारा के आधार पर जमीन पर पूर्वजों से दखलकार चले आ रहे है। विगत कुछ वर्षो से विपक्षी रामनारायण सिंह द्वारा उक्त जमीन को हड़पने के नीयत से आपराधिक कृत्य किया गया , जिसके आलोक में इस न्यायालय को सूचित किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त विवादित भूमि पर लगे फसल को लूटने एवं चाहरदिवारी को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर पूर्व में भी इस न्यायालय के द्वारा प्रकिया प्रारंभ की गई। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त जमीन पंजी II में भी रामवतार मारवाडी, द्वारिका प्र0 मारवाडी, देवी प्रसाद मारवाडी के नाम से दर्ज है तथा लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे है और रसीद की प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा मुटेशन केस सं0–1/13–14 की शुरूआती विसंगतियों के संबंध मे बताया गया कि जिस आधार (भूदान कमिटि) पर विपक्षी द्वारा दावा किया जा रहा है, वह सरासर गलत है तथा अपीलकर्त्ता द्वारा कभी भी इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है। केवल अभिलेख के साथ गैरकानूनी तरीके से छेड़छाड़ कर गलत नीयत से प्राप्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा यह भी बताया गया कि भूदान कमिटि देवघर द्वारा कभी भी सम्पुष्टि हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा को इसकी प्रति नही भेजी गई। यह भी उल्लेख किया गया कि सूचना अधिकार द्वारा भूदान कमिटि देवधर द्वारा प्राप्त प्रति को देखने से यह स्पष्ट होगा कि विपक्षी किस हद तक जालसाजी कर रहे है।

साथ ही अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस सम्पुष्टि वाद सं0–211/78–79 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा का दस्तावेज विपक्षी द्वारा दाखिल किया गया है, वह जाली दस्तावेज है, क्योकि अभिलेख प्राप्ति हेतु आवेदन पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के कार्यालय द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि सन 1978–79 में केवल 01–29 तक ही वाद दायर की गई है। उक्त आवेदन के अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति उपलब्ध है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि न्यायिक प्रकिया में विपक्षी उक्त सम्पुष्टि वाद के आदेश की जाली प्रति सही साबित करने हेतु न्याय को प्रभावित करने के लिए दाखिल किया गया है, जो स्वयं एक आपराधिक मामला बनता है। भूदान कमिटि अधिनियम के आलोक में भूदान अब तक मान्य नहीं है, जब तक सम्पुष्ट नहीं होता है और वर्त्तमान में विपक्षी द्वारा दायर आदेश की प्रति जाली है।

बहस के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि सन् 1978–79 में रामनारायण सिंह केवल 10 वर्ष के थे, जो स्वयं कानूनी रूप से अमान्य है। साथ ही अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा

पूर्व में बकालतन नोटिस के जबाब में विपक्षी द्वारा कोई भी स्पष्ट उल्लेख भूदान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा की सम्पुष्टिवाद एवं नामान्तरण वाद का उल्लेख नहीं किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि सारी जालसाजी बाद में की गई ताकि गलत दावे को समर्थन मिल सके।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि अचानक सन् 2013 में समूचे तंत्र को मिलाकर मुटेशन अभिलेख खोला गया, जो वास्तविकता से परे है। मुटेशन वाद सं0–01/13–14 के अभिलेख पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेख किया गया कि सारी प्रकिया जाली रूप से तैयार है क्योकि आदेश दिनांक–25.04.2013 है और नोटिस करने की तारीख तथा आपत्ति तारीख 11.05.2013 है, जो स्वयं दस्तावेजी जालसाजी है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि आदेश तथा नोटिस पर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर भी भिन्न है तथा एक सादे कागज पर कुछ ज्ञात व्यक्तियों का जाली हस्ताक्षर कर प्रकिया को पूर्ण की गई। सादे कागज पर ज्ञात व्यक्तियों का हस्ताक्षर बिना किसी सबूत के पूरे प्रक्रिया को अमान्य करता है।

इस ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया कि कथित आदेश दिनांक–25.04.2013 के पूर्व ही विपक्षी के द्वारा जमाबंदी कायम कर रसीद माँग की गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि जालसाजी कितनी बड़ी है। इन सारे तथ्यों के आधार पर विपक्षी का सभी जाली दस्तावेजी सबूत स्पष्ट करता है कि विपक्षी के द्वारा किन–किन तरीकों से न्यायालय की प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि वर्त्तमान सर्वे खतियान में भी अपीलकर्त्ता का नाम संधारित है जो स्पष्ट करता है कि भौतिक तथा वैधानिक रूप से विवादित जमीन पर अपीलकर्त्ता का दखल कब्जा है जिसे विपक्षी के द्वारा जालसाजी के आधार पर असफल प्रयास करने की कोशिश की गयी।

तत्पश्चात् विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि मुटेशन की सारी प्रकिया सही तरीके से की गई है, जिसका आधार भूदान कमिटि, देवधर तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा की सम्पुष्टि पर आधारित है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया हे कि अपीलकर्त्ता का मूल आवेदन में हस्ताक्षर भिन्न है, जो अन्य कागजात से स्पष्ट है।

विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि भूदान द्वारा विपक्षी को यह जमीन प्राप्त है, जिसकी सम्पुष्टि भी हुई ओर उसी समय के दखलकार है। उक्त भू भाग पर दखल कब्जा विपक्ष का है। बहस के दौरान विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि विवादित भूमि अपीलकर्त्ता की पुश्तैनी जमीन है, जो इन्हे प्राप्त है।

बहस के दौरान विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मुटेशन की सारी प्रकिया सही है और कोई जालसाजी नहीं की गई है। दावे के समर्थन में सूचीबद्ध दस्तावेज की ओर कमशः ध्यान आकृष्ट किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने , मुटेशन वाद सं0–01/13–14 के मूल अभिलेख, पक्षकारों के सूची बद्व दस्तावेजों तथा बहस के दौरान दस्तावेजी सबूतों के सम्यक् विवेचना पर स्पष्ट है कि मुटेशन वा सं0–01/13–14 के आदेश दिनांक–25.04.2013 के बाद आपत्ति का दिनांक–11.05.2013 वकालत जबाब जो विपक्षी द्वारा दिया गया, में किसी भूदान, सम्पुष्टि, मुटेशन का जिक न करना, आपत्ति में किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर पर तारीख का उल्लेख न होना एवं किसी संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर न होना, संपुष्टि वाद सं0–211/78–79 का सक्षम न्यायालय में उपलब्ध न होना पूरी प्रकिया को गलत साबित करता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा सम्यक विवेचना के आलोक में मुटेशन अपील वाद को स्वीकार करते हुए मुटेशन केश सं0–1/13–14 में अंचल अधिकारी, महागामा के आदेश दिनांक–25.04.2013 को खारिज किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, महागामा को निदेशित किया जाता है कि विपक्षी रामनारायण सिंह के पंजी–II में दर्ज नाम को विलोपित करें।

11/03/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
महागामा।

लेखापित एवं संशोधित।

11/03/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.06.18 13:17:14 +05:30
Location: 192.168.243.148

डी०बी०न० 15/भू०सु० दिनांक 07/04/2025
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, महागामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/04/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
महागामा
07/04/2025